Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 4, July-2021, ISSN 2230-7540

जनजाति समाज की सभ्यता एवं संस्कृति की सामाजिक जानकारी

दिगंत द्विवेदी[1]*, प्रो. सरिता कुशवाह[2]

[1] शोध छात्र (समाजशास्त्र), श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर (मध्य प्रदेश)

[2] प्राध्यापक, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर (मध्य प्रदेश)

शोध सार - भारत की सभ्यता और संस्कृति अपने आप में एक विशिष्ट पहचान लिए हुए हैं। इसका मुख्य कारण यहां निवास करने वाले व्यक्तियों की सांस्कृतिक गतिविधियों का सामान होना जो अपने आप में अकल्पनीय है और इनकी एकता भारतीय समानता की प्रमाणिकता है। इसलिए भारत देश को अनेकता में एकता वाला देश भी कहा जाता है। भारत में विभिन्न प्रजाति निवास करती हैं। इन प्रजातियों के मिश्रण से भारत को विभिन्न प्रजातियों का निवास स्थान भी कहते हैं। यहां के जंगलों और पहाड़ों में निवास करने वाले कुछ मानवीय समूह आधुनिक समाज के विकास क्रम में अलग रह गए हैं। इन समूहों में विकास की क्रियाः का लाभ फलतः नहीं मिल पा रहा है। इन अस्मरणीय परिस्थितियों में निवास करने वाला यह समूह ,विकास और सभ्यता जैसे बिंदुओं के कारण इनका जीवन अपनी परंपरागत जीवन शैली पर आश्रित है परंतु नई आधुनिक विचारधारा और पत्रकारिता ने इन दुर्गम स्थानों में निवास करने वाले जनजातिय समूह के व्यक्तियों में एक नई प्रकाश की रोशनी दी है जिसके कारण समूह के व्यक्तियों में अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है और अपने जीवन को आधुनिक और सभ्य समाज के साथ जोड़ पाने में संभव हो पाए है।

मुख्य बिंदु - संस्कृति, जनजातीय समाज, सभ्यता ,सामाजिक जानकारी प्रौद्योगिकी एवं राष्ट्रीयता।

----------X----------

परिचय

जनजातिय समुदायों को जनजाति, आदिम जाति, आदिवासी, वन जनजाति, पिछड़ी जाति और बनवासी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इन समूह का एक निश्चित नाम होता है जिसे इन्हे उस नाम से संबोधित किया जाता है परंतु इतिहास के कारण इन समूहों को आदिवासी या आदिम जनजाति नाम से संबोधित किया जाता है। जनजाति समूह परंपरागत श्रृंखला का एक मानव समुदाय है जिनमें एक विशिष्ट भाषा का प्रचलन होता है एवं एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र में निवास किया करते हैं और अपने प्राचीन परंपरागत जीवन शैली को अपनाते हैं।

वर्तमान समय में जनजातिय समूह में विभिन्न परिवर्तन दिखाई देते हैं जिसका एक कारण आधुनिकता , प्रौद्योगिकी एवं पत्रकारिता भी है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की जनजातिय समाज सभ्य समाज के संपर्क से अपने विकास पथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण जनजाति समाज के व्यक्ति में शिक्षा के प्रति जागरूकता और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन से हैं। उन समाजों में समाज के साथ शैक्षणिक राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन भी अधिक देखने मिलते है।

आज समस्त दुनिया में हम दो समुदायों को देखते हैं। एक वह समुदाय जो अपना विकास कर आधुनिक समाज के साथ चल रहा है और दूसरा वह समाज अपने विकास के लिए संघर्षरत हैं और विकास के लिए प्रयासरत रहता है। इसका एक कारण यह समुदाय अपने जीवन को प्राचीन और आधुनिक काल में जीते हैं। हम देखते हैं विश्व में एक समुदाय अपने आप को विकसित किया है और एक समुदाय आधुनिक समाज में पिछड़ा और आदिम हैं। इनके समाज में प्राचीन संस्कृति और विकसित संस्कृति एक समय में एक साथ मौजूद हैं। हम देखते हैं सभ्य समाज और आदिम समाज के बीच एक रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

www.ignited.in

आदिम समाज की जीवन पद्धति एवं आधुनिक जीवन शैली हमे चकित करते हैं। हमें स्मरण करने और सोचने के लिए बाध्य करता है। पर मेरे द्वारा यह सोचनीय है इन आदिम और जनजातियों की परंपरागत शैली और संस्कृति का एक दिन में विकास नहीं हुआ। इन परंपराओ और संस्कृति को बनाने में अधिक वर्षों का अनुभव लगा है। यह सब जनजाति व्यक्तियों के सपनों और उनके विश्वासों में समा चुका है। ये सब इन व्यक्तियों की अवधारणा , विचार, परंपरा और धर्म इनकी जीवन शैली में अलग दिखाई देती हैं।

हम यह सोचते हैं यह सब जनजाति जीवन का अभिन्न अंग हो सकता है। इसलिए उनके जीवन में इसकी महत्त्वता उनके जीवन में आज भी बसी हुई है। यही सब आज हम वर्तमान समय में देखते हैं और चकित हो जाते हैं। सभ्य समाज यह सब से दूर और बहुत आगे आ गया है। इसलिए यह सब वस्तुएं उनके जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है।

आजादी के बाद भारत में 1950 से जनजाति समाज की पहचान का कार्य प्रारंभ किया गया और 212 जनजाति समाजों को सूचीबद्ध कर जनजाति अधिनियम 1950 को लागू किया गया। इस सूची में बहुत सी जनजातियों को विभिन्न कारणों से सम्मिलित नहीं किया गया , जिसका अत्याधिक विरोध हुआ। इस विरोध को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा जाति आयोग की स्थापना की गई है। इसके गठन के बाद पूर्व में तैयार सूची को बदला गया और साथ साथ ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया , जिसके बाद प्रदेश की सूचियों को बदला गया। इन बदली हुई सूचियों में प्रदर्शित जनजातियों को ही जनजाति कहा जाने लगा। जनजाति और सरकारों में जागरूकता के अभाव के कारण अभी भी बहुत सी जनजातियां इस सूची में सम्मिलित नहीं हो पाई है।

संविधान निर्माताओं ने आदिम जनजातियों के वनीय और असभ्य होने की वजह से उन पर अधिक ध्यान दिया। उनके विकास के लिए संविधान में विभिन्न धाराओं और भागों में इनको वर्णित कर उनके विकास के लिए योजना और कार्यक्रम की व्यवस्था की। संविधान के नीति निर्देशक तत्व , मौलिक अधिकार, संपत्ति, प्रयोजन और जनजाति क्षेत्र के लिए विशेष योजना और प्रयोजन द्वारा इनके विकास की व्यवस्था की है। यह सरकार द्वारा प्रशासकीय प्रयास है। साथ ही जनजाति सलाहकार परिषद की भी नियुक्ति की गई है। अनुच्छेद 338 में जनजाति की सहायता के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा पर इन जनजातियों के लिए कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान है जिसे एक विशिष्ट अधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

भारत में प्रजाति बिंदुओं पर अध्ययन के उपरांत बहुत से अनुसंधानकर्ता या विद्वानों ने जैसे बी एस गुहा (1935), डी एन मजूमदार (1944) और होप रिजले (1991) में इनको अलग किया है। उपयुक्त प्रमाण के बिना जनजाति बिंदुओं की चर्चा में मजूमदार का कहना है कि समस्त जनजाति इतिहास की ऐतिहासिक निर्माताओं को वाजियों पर आश्रित करना होता है।

मध्य प्रदेश प्रकृति प्रिय एवं समृद्ध राज्य है जिससे विभिन्न संस्कृति और सभ्यता का निवास स्थान है। बालाघाट में बैगा , जबलपुर- छिंदवाड़ा में गोंड , भारिया और भूमिया ,गुना-ग्वालियर-शिवपुरी और मंडला में सहरिया, पन्ना-छतरपुर में कोंदर , धार- झाबुआ-खरगोन-बड़वानी में भील , बैतूल में गौड , खंडवा-बुरहानपुर-होशंगाबाद में कोरकू , सागर में अगरिया आदि आदिम जनजातियों की अधिकता है। इनमें मध्य प्रदेश की भील,गौड,बैगा और कोल संस्कृति संपन्नता जनजातियां है। वर्तमान समय में विभिन्न जनजाति सभ्य समाज , पौघोगिकी, तकनीकी और पत्रकारिता से जुड़ गयी हैं

विभिन्नता यहां देखने मिलती है। संपूर्ण समाज में जनजाति समाज को आधार मानकर उसके आर्थिक ,सामाजिक और राजनीतिक विकास का भौतिकवाद विश्लेषण किया गया है परंतु भारतीय चिंतन की इकाई मानवीय है। इसमें मानव प्रधान होता है। अगर मानव समृद्ध है तो वह सुदृढ समाज की स्थापना कर लेगा। स्थापना के साथ ही वैज्ञानिक तरीकों को विकसित कर लेगा। अगर मानव सर्वयुक्त हो जाए तो अपने समाज को भी सम्मपन बना सकता है। विद्वानों ने इस चर्चा को समझने के बाद चार भागों को बताया है जो धार्मिक ,बौद्धिक सांवेदनिक और भौतिक है।

विकास के कार्य में सफलता तब तक प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक यह चारों भागों को विकास कार्य में शामिल न किया जाए। मानव विकास भौतिक भागों से नहीं ना बौद्धिक ना धार्मिक ना सांवेदनिक भागों से बना है। यह चारों भागों का मिश्रित स्वरूप है। इसलिए इन चारों भागों का विकास कार्य में महत्वपूर्ण स्थान है वर्तमान समय में योजनाओं से विकास कार्य सफल इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि हम केवल आर्थिक व बौद्धिक विकास पर ध्यान देते हैं। जब हम एक पक्ष पर

ध्यान देते हैं तो यह विकास क्रम असफल होगा ही। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम प्राचीन प्रणाली को त्याग कर उसकी जगह मानव के संपूर्ण विकास का मॉडल अपनाएं और योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करें तो संभव है कि विकास का सही मतलब में परिणाम मिलेगा जिससे समस्त जनजातियों का विकास हो सकता है।

आजादी के बाद जनजातियों के विकास हेतु सिद्धांत रूप में नितांत आर्थिक विकास और पूर्ण अलगाव के मध्य का मार्ग को अपनाया गया। पंडित नेहरू का कहना है कि हमें जनजाति क्षेत्रीय मुद्दों में भटकाव की स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकते। वर्तमान समय में विश्व में न वह वांछनीय है न यह संभव है परंतु हमें इन जनजाति क्षेत्रों में जोखिमो से इनकी रक्षा करनी होगी। हमें इन दोनों के मध्य मार्ग तैयार कर विकास के लिए कार्य करना होगा। इनका मानना था कि जनजाति समाज को उनकी चेतना के अनुसार विकास के मार्ग को बनाकर सहायता प्रदान करनी चाहिए।

वर्तमान समय में प्रचलित और बड़ी संस्थाओं को विकास के कार्य देने के पूर्व उनकी परंपरागत परंपरा और संस्कृति के मध्य में राष्ट्रीय नीति अधिक संवेदन रही है। गोविंद पंत के द्वारा जनजाति अपनी सभ्यता को स्वयं द्वारा निर्धारित करें और देश की सांस्कृतिक संपदा पर अपना अस्मरणीय योगदान दें और उनके रीति-नीति और रीति-रिवाजों को इतना ना परिवर्तित किया जाए कि वह अपनी पहचान वर्तमान समय में खो दे।

परंतु कोई ऐसा प्रयास जिससे ग्राम और वनों के जीवन से उनके रंग का अंत करना होगा। कुछ जनजाति छोटी क्यों ना हो वह एकता से साथ चलकर समाज के लिए राष्ट्रीय जीवन में सहभागी रह कर आगे बढ़े। यह क्रिया कितनी सफल और सुगम रहेगी। यह तत्थ और गुणों के साथ हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्यों तथा उसकी गुणवत्ता का निर्धारण कर सकते हैं। इन सब में पत्रकारिता , शिक्षा और आधुनिकता का महत्वपूर्ण भूमिका है।

जनजातियों की अधिकता आज भी मध्यप्रदेश में दिखाई देती है, पर इनमें को जनजातियां ऐसी हैं जिनमें सभ्यता का एक जाल गूॅथा हुआ है और उसे सुलझाना कठिन होता है। मेरा कुछ वर्षों से जनजाति या जनजातीय व्यक्तियों के साथ मेलजोल रहा है और मैंने एनजीओ के माध्यम से जनजातीय पद्धति , संस्कृति, परंपरा, सभ्यता, कला और साहित्य का सर्वेक्षण एवं उनके दस्तावेजों का कार्य संपन्न कराया है मेरे द्वारा सोचनीय रहा है कि जब तक जनजाति ज्ञान पद्धति को गंभीर तरीके से अध्ययन ना हो अथवा आदिम प्रायों, असत्य और प्रतीकों को समझा ना जाए तब तक हम जनजाति के जनजाति के मर्म ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। जनजातीय जीवन सरल , सपाट और सादा दिखाई देता है, लेकिन वह आंतरिक रूप से अत्याधिक जटिल होता है। उनके विचार , धारणाएं और कल्पना उनकी परंपरागत प्रथा और अनुष्ठान के निरूपण में नृत्य , गीत एवं संगीत चित्रों द्वारा उनके व्यवहार में प्रकट दिखाई देते हैं।

सन्दर्भ

1 रविंद्र नाथ मुखर्जी: सामाजिक मानव शास्त्र की रूपरेखा ,विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली, 1995 पृष्ठ 222
2 मोहम्मद अमान मुल्ला: जनजाति का संक्षिप्त मानव शास्त्रीय अध्ययन, भोपाल आदिम जाति शोध संस्थान, मध्य प्रदेश 1997 पृष्ठ 23
3 एस सी दुबे ,मानव और संस्कृति ,नई दिल्ली , राजकमल प्रकाशन 1960 पृष्ठ 138
4 बसंत निर्गुण , मध्यप्रदेश की जनजातियां इंदौर , महावीर पब्लिशर्स 2004 पृष्ठ 243
5 प्रतिभा दुबे ,टीकमगढ़ जिला की सांस्कृतिक परिस्थितिकी एक भौगोलिक विश्लेषण ,प्रकाशित शोध प्रबंध,जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर 2003 पृष्ठ 112

Corresponding Author

दिगंत द्विवेदी*

शोध छात्र (समाजशास्त्र) , श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर (मध्य प्रदेश)

www.ignited.in